

पंजीकरण सूचना: 30652/2024-25/एससी-5

स्वीकृत एएससी ठेकेदारों के रूप में पंजीकरण

1. खुर पर मांस, पोल्टरी (बर्ॉयलर) जिंदा, अंडे, मछली, सब्जियां, फल, आलू, प्याज, लहसुन, जलाऊ लकड़ी, चारकोल जैसी ताजा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वार्षिक अनुबंध के लिए एएससी ठेकेदार के रूप में पंजीकरण के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लाइमविचक, बरेड और बर्फ (एमएम) आदि। उधमपुर, लेह, श्रीनगर, नगरोटा, बीडी बारी, चंडीगढ़, डलहौजी, पालमपुर और यूटी जम्मू और कश्मीर, यूटी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य के विभिन्न अन्य स्टेशन।

2. अनुबंध हासिल करने में रुचि रखने वाली फर्मों को GeM (सरकारी ई-मार्केट) पर पंजीकृत होना चाहिए।

3. ठेकों का वार्षिक मूल्य 3,00,000/- रुपये (तीन लाख रुपये) से 30,00,00,000/- रुपये (तीस करोड़ रुपये) तक है। बिलों का भुगतान पाक्षिक आधार पर या विषय पर नीति के अनुसार किया जाता है। परत्येक वर्ष निम्नानुसार अवधि के दौरान निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

(ए) मांस समूह और ताजा आपूर्ति वस्तु

- जुलाई से सितंबर और नवंबर से मार्च परत्येक वर्ष।

4. इच्छुक पार्टियां सादे कागज पर एमजी एएससी, मुख्यालय उत्तरी कमान, पिन-908545, c/o 56 एपीओ को आवेदन जमा कर सकती हैं। कोई भी अतिरिक्त जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

एमजी एएससी  
मुख्यालय उत्तरी कमान  
पिन-908545  
C/o 56 एपीओ

CBC 10602/11/0003/2425